झारखण्ड विधान सभा

राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची विधेयक, 2010

[सभा द्वारा यथा पारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची विधेयक, 2010

[सभा द्वारा यथा पारित]

विषय सूची

खंड ।

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।
2. परिभाषाएँ ।
3. राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची की स्थापना एवं संस्थापन ।
4. विश्वविद्यालय के प्रयोजन ।
5. विश्वविद्यालय शक्तियाँ एवं कार्य ।
6. विश्वविद्यालय के शिक्षण ।
7. विश्वविद्यालय के रेक्टर ।
8. विश्वविद्यालय के विजिटर्स ।
9. विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ।
10. रेक्टर की शक्ति ।
11. विजिटर की शक्ति ।
12. विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की शक्ति ।
13. विश्वविद्यालय के प्राधिकार ।
14. सामान्य परिषद् ।
15. कार्यकारिणी परिषद् ।
16. विद्वत परिषद् ।
17. शैक्षिक योजना एवं विकास समिति ।
18. विश्वविद्यालय के अधिकारी ।
19. परिनियम ।
20. विश्वविद्यालय के अध्यादेश ।
21. विनियम ।
22. विनियम बनाने की शक्ति परिनियम के प्रावधान के अनुरूप होना ।
23. विश्वविद्यालय समीक्षा आयोग की नियुक्ति ।
24. कार्रवाई का रिक्तियों या गठन में त्रुटि के कारण अमान्य न होना ।
25. प्रारम्भ करने में कठिनाईयों को दूर करना ।

अनुसूची

(परिनियम)

1. सामान्य परिषद् की सदस्यता ।
2. दाता सदस्य ।

3. सामान्य परिषद् का अध्यक्ष तथा सचिव ।
4. सामान्य परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल ।
5. सामान्य परिषद् की शक्तियाँ ।
6. सामान्य परिषद् की सभाएँ ।
7. कार्यकारिणी परिषद् की सदस्यता ।
8. कार्यकारिणी परिषद् का कार्यकाल ।
9. कार्यकारिणी परिषद् की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य ।
10. कार्यकारिणी समिति की बैठक ।
11. स्थायी समिति का गठन एवं कार्यकारिणी परिषद् द्वारा तदर्थ समिति का गठन ।
12. पदों एवं सीटों का आरक्षण ।
13. कार्यकारिणी परिषद् द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
14. विद्वत परिषद् की सदस्यता ।
15. विद्वत परिषद् के कार्य एवं शक्तियाँ ।
16. विद्वत परिषद् की बैठकें आहूत करने की प्रक्रिया ।
17. वित्त समिति ।
18. चयन समिति ।
19. कुलपति ।
20. कुल सचिव ।
21. वित्त पदाधिकारी ।
22. भविष्य निधि, उपादान, पेंशन एवं अन्य लाभकारी योजना ।
23. विश्वविद्यालय की निधि ।
24. वार्षिक लेखा, अंकेक्षण और वित्तीय आकलन ।
25. वार्षिक प्रतिवेदन ।
26. अनुबंध का क्रियान्वयन ।
27. छात्रों के नामांकन की अर्हत्ता ।
28. छात्रों का आवास ।
29. मानद उपाधियाँ ।
30. डिग्री या डिप्लोमा को वापस किया जाना ।
31. अनुशासन ।
32. प्रायोजित योजनाएँ ।

राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची

विधेयक– 2010

[सभा द्वारा यथा पारित]

राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची की स्थापना एवं संस्थापन करने हेतु एक विधेयक ।

प्रस्तावना :–

विधि के क्षेत्र में शिक्षण एवं शोध तथा ज्ञान की वृद्धि एवं प्रसार, राजकीय तथा गैर राजकीय संस्थानों की उचित विधि क्षमता के निर्माण, विधि सेवाएँ प्रदान करने की पद्धति को सशक्त करना जो क्षेत्रानुकूल तकनीकी विकास हेतु विविध क्षेत्र के ज्ञान (यथा खनन् एवं खनिज, पर्यावरण, सूचना तकनीकी, जैव प्रौद्योगिकी आदि) में विशेषज्ञता तथा शासन में लोक नीति के विकास हेतु विधि के प्रयोग में भागीदारी एवं वैसे व्यक्तियों, जो वकालत, न्यायिक सेवा, विधि अधिकारियों, प्रबंधकों तथा विधायी प्रारूपण एवं संबंधित अनुषगी विषयों को अपना पेशा बनाने के इच्छुक हो, के पेशेवर निपुणता की वृद्धि कर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु राँची में एक राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची की स्थापना एवं संस्थापन हेतु एक विधेयक अधिनियमित करना आवश्यक हो गया है,

भारत गणराज्य में 61 वें (एकसठवें) वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा इस प्रकार अधिनियमित हो:–

अध्याय–1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :**

(i) यह अधिनियम राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची अधिनियम, 2010 कहा जायेगा।

(ii) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएँ** : जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(i) 'विद्वत परिषद': विद्वत परिषद से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का विद्वत परिषद।

(ii) 'शैक्षिक योजना एवं विकास समिति': शैक्षिक योजना एवं विकास समिति से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की शैक्षिक योजना एवं विकास समिति ।

(iii) 'भारतीय अधिवक्ता परिषद': से अभिप्रेत है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की (सन् 1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–25) के अन्तर्गत गठित भारत का अधिवक्ता परिषद ।

(iv) 'कुलाधिपति': से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति ।

(v) 'कार्यकारिणी परिषद': से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद।

(vi) 'सामान्य परिषद' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद ।

(vii) 'कुल सचिव' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुल सचिव ।

(viii) 'विनियम' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अन्तर्गत एवं इसके अनुरूप विश्वविद्यालय के प्राधिकारों द्वारा निर्मित विनियम ।

(ix) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है इस अध्यादेश से संलग्न अनुसूची ।

(x) 'विश्वविद्यालय' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची।

(xi) 'मुख्य न्यायाधीश': से अभिप्रेत है झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिसमें झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दायित्व का निर्वहन कर रहे न्यायाधीश भी सम्मिलित होगें।

(xii) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य के राज्यपाल अथवा कार्यकारी राज्यपाल, जो झारखण्ड राज्य में राज्यपाल का दायित्व निर्वहन कर रहे हों।

(xiii) 'कुलपति' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति।

(xiv) ''रेक्टर' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का रेक्टर।

(xv) 'विजिटर' : से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का विजिटर।

अध्याय – 2

विश्वविद्यालय की स्थापना, इसका उद्देश्य एवं कार्य।

3. **राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची की स्थापना एवं संस्थापनः**

(i) अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार जिस तिथि से नियत कर, झारखण्ड राज्य में, राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची के नाम से स्थापित होगा, जिसमें रेक्टर, विजिटर, कुलाधिपति, कुलपति, सामान्य परिषद,कार्यकारिणी परिषद्, विद्वत् परिषद, वित्त समिति एवं कुल सचिव होंगे ।

(ii) विश्वविद्यालय उक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा एवं उसकी सामान्य शक्ति सम्पन्न मुहर होगी । इस अध्यादेश के प्रावधानों के तहत इसी नाम से वह वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा एवं संविदा कर सकेगा।

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध सभी वादों एवं कानूनी कार्यवाहियों का अभिवचन (Pleadings) कुल सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया जाएगा एवं इन वादों एवं कार्यवाहियों के सभी परिपत्रों को कुलसचिव को निर्गत एवं नामित किया जाएगा ।

(iv) विश्वविद्यालय का मुख्यालय राँची होगा । समय–समय पर सामान्य परिषद द्वारा अन्यत्र भी महसूस किये जाने पर झारखण्ड में अन्यत्र भी विश्वविद्यालय अपना परिसर स्थापित कर सकेगा।

4. **विश्वविद्यालय के प्रयोजन :** इस विश्वविद्यालय के निम्नवत उद्देश्य होंगेः–

(i) राष्ट्रीय प्रगति में विधि की समुचित भूमिका निरूपित करने के लिए अधिगम एवं ज्ञान को विकसित व प्रचारित करना और शोध कर प्रयोजन व संचालन करना।

(ii) विद्यार्थियों एवं शोध छात्रों को विधि के क्षेत्र में समाज की सेवा हेतु दायित्व बोध में वृद्धि करने के लिए अधिवक्तत्व, न्यायिक एवं अन्य विधि सेवाएँ, विधायिकी, विधि सुधार आदि क्षेत्रों में निपुणता को विकसित करना।

(iii) व्यावसायिक शिक्षा को विकसित करना और न्यायिक पदाधिकारियों एवं अन्य व्यक्ति जिनकी रूचि विधि क्षेत्र में हो – को पर्याप्त उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

(iv) विधि शिक्षकों, न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं अन्य व्यक्ति जो इस क्षेत्र में कार्यरत हों या विधि क्षेत्र में रूचि हो, को प्रशिक्षण देना तथा पुनश्चर्या आयोजित कराना।

(v) विधि से सम्बन्धित विषयों पर व्याख्यान गोष्ठी समारोह तथा सम्मेलनों का आयोजन करना।

(vi) विधिक ज्ञान को बढ़ाना तथा कानून एवं कानूनी प्रकिया को सामाजिक विकास के लिए दक्ष यंत्र बनाना।

(vii) परीक्षाएँ आयोजित करना तथा उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र एवं अन्य विद्योचित वरेण्यताएँ प्रदान करना एवं अन्य किसी या सभी प्रयोजनों की पूर्ति के लिए ऐसे सभी कार्य करना जो विश्वविद्यालय की उद्देश्य पूर्ति हेतु प्रासंगिक तथा आवश्यक हो।

विश्वविद्यालय सभी लिंग, जाति, प्रजाति, वर्ण, वर्ग, या धर्म के पुरूष/महिला के लिए उपलब्ध रहेगा।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कार्य : विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कार्य निम्नवत् होंगेः–

(i) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक, शोध, शिक्षा तथा निर्देशन के केन्द्रों का प्रशासन एवं प्रबंधन करना ।

(ii) विधि विषयक ज्ञान या ज्ञानोपार्जन की उन शाखाओं में अनुदेश प्रदान करना जिसे विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे एवं शोध एवं विधि विषयक ज्ञान के वृद्धि एवं प्रसार हेतु व्यवस्था करना ।

(iii) बहिर्विश्वविद्यालयीय (Extra mural) शिक्षण तथा प्रसार सेवा (Extension Service) का आयोजन करना एवं प्रदान करना ।

(iv) परीक्षाओं का आयोजन एवं डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्रों की स्वीकृति प्रदान करना एवं उपाधि तथा विश्वविद्यालय बन्धेजों के अधीन, जो वह निर्धारित करे, व्यक्तियों को अन्य विद्योचित वरेण्यताएँ प्रदान करना तथा पर्याप्त कारणों से किसी डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या विद्योचित वरेण्यताओं को हमेशा के लिए वापस करना ।

(v) विनियम में यथाविहित विधि से मानद उपाधियों या अन्य विद्योचित वरेण्यताएँ प्रदान करना ।

(vi) शुल्क एवं अन्य प्राप्तियों को नियत करना, मांगना और प्राप्त करना ।

(vii) हॉल तथा छात्रावासों की स्थापना तथा अनुरक्षण करना तथा विद्यार्थियों के आवासों को मान्यता प्रदान करना एवं किसी अन्य आवासीय स्थान की मान्यता को वापस लेना ।

(viii) ऐसे विशेष केन्द्र, विशिष्ट अध्ययन केन्द्र या शोध एवं अनुदेश के लिए अन्य इकाईयां स्थापित करना, जो विश्वविद्यालय के विचार में उसके प्रयोजनों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हो ।

(ix) आवासों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करना तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन को नियंत्रित करना और उनके स्वास्थ्य वर्द्धन की व्यवस्था करना ।

(x) महिला विद्यार्थियों के आवास, अनुशासन एवं शिक्षण के लिए विशेष व्यवस्था करना ।

(xi) विश्वविद्यालय के अकादमिक, तकनीकी, प्रशासनिक, अनुसूचित पदों एवं अन्य पदों का सृजन करना एवं इन पदों पर नियुक्ति करना ।

(xii) विश्वविद्यालय कर्मियों पर अनुशासन लागू करना एवं नियंत्रित करना एवं ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई करना, जो आवश्यक हो ।

(xiii) राज्य सरकार के पुर्वानुमोदनोपरान्त, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अंशकालिक व्याख्याता के पदों तथा कोई अन्य शिक्षण, अकादमिक या शोध पदों का सृजन करना जो विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक हो ।

(xiv) विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, सह–प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों, अंशकालिक व्याख्याताओं या अन्य शिक्षकों एवं शोधार्थियों की नियुक्ति करना ।

(xv) अधिछात्रवृत्तियाँ (फेलोशिप), अधिवृत्तियाँ, पारितोषिक तथा पदकों को कायम करना एवं प्रदान करना ।

(xvi) शोध एवं अन्य कार्यों के लेखों के मुद्रण (reproduction) तथा प्रकाशन की व्यवस्था करना एवं प्रदर्शनियॉ आयोजित करना ।

(xvii) विधि, न्याय एवं सामाजिक विकास के हर पहलू पर शोध करना तथा प्रायोजित करना ।

(xviii) शिक्षा, प्रशिक्षण एवं विधि, न्याय, सामाजिक विकास तथा अन्य अनुषंगिक विषयों के मामलों में ऐसे उद्देश्यों के लिए उन शर्तों एवं बंधेजों के साथ, जो विश्वविद्यालय समय–समय पर निर्धारित करे, जिस पर सहमति हो गई हो अन्य संस्थानों से सहयोग करना ।

(xix) विश्व के उच्चतर ज्ञान के ऐसे संस्थानों से सहयोग करना जिनके प्रयोजन पूर्णतः या आंशिक रूप से विश्वविद्यालय के समान हो, उनसे शिक्षकों का अन्तरण (exchange) सामान्यतया इस प्रकार से कर सकेगा जो समान प्रयोजन के लिए सहायक हो ।

(xx) व्यय को नियंत्रित करना और विश्वविद्यालय के लेखा का प्रबंधन करना।

(xxi) न्यायिक अधिकारियों एवं अन्य जो न्यायिक प्रशासन से जुड़े हों के पेशेवर शिक्षा का उन्नयन करना एवं आवश्यक पुनश्चर्या (Orientation) तथा प्रशिक्षण प्रदान करना ।

(xxii) विधि शिक्षक, न्यायिक अधिकारियो, अधिवक्ताओ एवं विधि क्षेत्रो के अन्य व्यक्तियो को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं पुनश्चर्या आयोजित करना ।

(xxiii) ग्रामीण एवं शहरी नागरिकों के बीच वैधिक साक्षरता तथा वैधिक जागरूकता, उन्नयन एवं प्रसार करना ।

(xxiv) जरूरतमंद व्यक्तियों को मुकदमा पूर्व एवं मुकदमे के दौरान कानूनी सहायता प्रदान करना ।

(xxv) पुरातन धर्मग्रन्थ एवं भारत की पुरातन न्यायिक व्यवस्था पर शोध करवाना एवं आधुनिक भारत में न्याय प्रशासन में उसकी उपयोगिता का पता लगाना ।

(xxvi) ग्रंथों, जिनपर आधुनिक विधि तथा अहिंसा एवं शांति की अवधारणा आधारित है, के शिक्षण तथा शोध का विकास करना तथा आधुनिक भारत के न्यायिक प्रशासन में उनकी उपयोगिता का पता लगाना ।

(xxvii) शोध पत्र, संधियों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, रपटों तथा कानून के अन्य क्षेत्रों से संबद्ध साहित्यों का प्रकाशन।

(xxviii) ऐसी कक्षाओं एवं अध्ययन हॉल, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, की स्थापना तथा अनुरक्षण, विश्वविद्यालय परिसर में या अन्यत्र करना एवं उसे यथायोग्य सुसज्जित करना । विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक तथा सुविधाजनक पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना एवं अनुरक्षण करना।

(xxix) जिस उद्देश्य से विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, उस प्रयोजन के अनुरूप विश्वविद्यालय के लिए अनुदान, परिदान, अंशदान, दान तथा संदान ग्रहण करना ।

(xxx) विश्वविद्यालय के लिए किसी भूमि, भवन या निर्माणों को जो आवश्यक या सुविधाजनक हो, का क्रय या पट्टे पर या उपहार के रूप में ऐसी शर्त्तों एवं बंधेजों पर जो यह उचित एवं समीचीन समझे, ग्रहण करना एवं ऐसे भवनों या निर्माणों का कार्य तथा परिवर्तन एवं अनुरक्षण करना ।

(xxxi) विश्वविद्यालय के हितों एवं कार्य कलापों के लिए पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे शर्त्तों एवं बंधेजों पर जो यह उचित समझे, चल या अचल संपत्ति का विक्रय, अन्तरण, पट्टे पर या अन्यथा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय की संपत्ति को अन्तरित करना ।

(xxxii) वचन पत्रों, हुण्डियों, चेकों या दूसरे विनियमों या दस्तावेजों की निकासी करना एवं स्वीकारना, बनाना एवं पृष्ठांकन करना, मोल–जोल करना एवं छूट देना ।

(xxxiii) विश्वविद्यालय या उसके लिए अधिगृहित की जाने वाली राजकीय चल एवं अचल संपति सहित प्रतिभूतियों के संदर्भ में स्थानान्तरणों, हस्तान्तरणों, पुनर्हस्तांतरणों, बंधकों, पट्टों का एकरारनामा करना ।

(xxxiv) विश्वविद्यालय के किसी कार्य को संपादित करने या किसी दस्तावेज को निष्पादित करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति करना जिसे विश्वविद्यालय सक्षम समझे ।

(xxxv) अनुदान प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य व्यक्तियों एवं सोसायटियों से एकरारनामा करना ।

(xxxvi) अर्थ, प्रतिभूतियों या किसी प्रकार की संपत्ति को ऐसी शर्त्तों पर स्वीकार करना जो यह समीचीन समझे ।

(xxxvii) अनुबंध पत्रों, बंधकों, वचन पत्रों पर या अन्य इकरारनामों या ऐसे प्रतिभूतियों पर आधारित या विश्वविद्यालय के सभी या किसी संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों पर आधारित या बिना जमानत के और ऐसी शर्त्तो एवं बंधेजों के अधीन, जो विश्वविद्यालय उचित समझे, धन की उगाही करना तथा उधार लेना एवं विश्वविद्यालय की निधि से धन की उगाही के अनुषांगिक व्यय तथा उधार लिए गए धन की वापसी पर खर्च करना ।

(xxxviii) विश्वविद्यालय की निधि या एसे प्रतिभूतिओं में या पर विश्वविद्यालय को सौंपे गए धन को इस प्रकार निवेश करना जो यह उचित समझे एवं समय–समय पर दूसरे स्थान पर निवेशित करना ।

(xxxix) विश्वविद्यालय के मामलों को नियंत्रित एवं प्रबंधन के लिए समय–समय पर आवश्यक प्रतीत होने वाले विनियम बनाना एवं उन्हें परिवर्तित, संशोधित या विलोपित करना ।

(xL) अकादमिक, तकनीकी, प्रशासनिक एवं अनुसचिवीय एवं अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन, बीमा, भविष्य निधि एवं उपादान का इस प्रकार विनियम में विहित शर्त्तो एवं बंधेजों के अधीन व्यवस्था करना जो विश्वविद्यालय किसी कर्मचारी के लाभ के लिए उचित समझे एवं संघों, संस्थानों, निधियों, निकायों तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के लाभार्थ गणना किए गए प्रतिपूर्तियों को स्थापित एवं सहायता करने में सहयोग देना ।

(xLi) विश्वविद्यालय के कुलपति या किसी समिति या इसमें प्राधिकार के किसी एक या अधिक सदस्यों या अधिकारियों को सभी या कोई शक्ति प्रदान करना ।

(xLii) ऐसे सभी कृत्य एवं कार्य करना जिसे विश्वविद्यालय उपर्युक्त वर्णित प्रयोजनों से या किसी एक प्रयोजन की प्राप्ति या उन्नयन के लिए आवश्यक समझे ।

6. **विश्वविद्यालय के शिक्षण :**

(i) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्रों से संदर्भित सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण का संचालन कार्यकारिणी परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण में विश्वविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा कार्यकारिणी समिति द्वारा विनियम से निर्धारित पाठ्यसूची के अनुरूप किया जायेगा ।

(ii) पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या तथा ऐसे शिक्षण को आयोजित करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट होंगे ।

अध्याय – 3

रेक्टर, विजिटर्स एवं कुलाधिपति की शक्ति एवं कार्य

7. **विश्वविद्यालय के रेक्टरः** झारखण्ड राज्य के राज्यपाल विश्वविद्यालय के रेक्टर होंगे।

8. **विश्वविद्यालय के विजिटर्स :** भारत के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के विजिटर होगें।

9. **विश्वविद्यालय के कुलाधिपति :**

(i) झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।

(ii) कुलाधिपति एतद् सम्बंधी परिनियम में विहित विधान के अनुसार कुलपति की नियुक्ति करेगें।

कुलपति के आदेश के विरूद्ध अपील कुलाधिपति के समक्ष अपील किया जा सकेगा।

10. **रेक्टर की शक्ति**:

(1) विश्वविद्यालय के मामलों से संबद्ध किसी भी विषय पर रेक्टर को प्रतिवेदन की मांग करने की शक्ति होगी।

11. **विजिटर की शक्ति :**

(i) विजिटर जब उपस्थित रहेंगे तब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह एवं सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे तथा इस अध्यादेश द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि विजिटर कनवोक्शन के अध्यक्षता करने में असमर्थ हों, तो वे रेक्टर से कनवोक्शन की अध्यक्षता करने हेतु अनुरोध कर सकते है।

(ii) विश्वविद्यालय के मामलों से सम्बद्ध किसी भी विषय पर विजिटर को प्रतिवेदन की मांग करने की शक्ति होगी।

12. **विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की शक्ति :**

i) कुलाधिपति की शक्तियाँ यथा निम्नांकित होगी :

क) विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं अकादमिक हित में, जिसे वे आवश्यक समझें, के संदर्भों में निर्देश देना, कार्रवाई करना या कोई भी ऐसा कृत्य करना जो अधिनियम एवं परिनियम के प्रावधानों द्वारा अपेक्षित हो।

ख) वैसे व्यक्ति से विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों के किसी कृत्य, कार्यकलाप एवं परीक्षा का निरीक्षण करा सकना, जिसे निर्देशित करें।

ग) उपधारा 'ख' के तहत किए गए निरीक्षण या जाँच पर कुलपति को अपनी राय या परामर्श देना।

ii) जहाँ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय के निरीक्षण अथवा जाच के लिए उपर्युक्त उपकंडिका (i) की धारा 'ख' के अधीन आदेश दिया हो वहाँ विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जॉच में अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर सकता है।

iii) कुलाधिपति इस निरीक्षण या जॉच का फलाफल अपने परामर्श के साथ कुलपति को सूचित कराऐंगे।

(iv) उपर्युक्त कंडिका (iii) के निर्दिष्ट फल एवं परामर्श कुलपति कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अपने टिप्पणी के साथ ऐसी कार्रवाई के लिए सूचित करेंगे जो कार्यकारिणी परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव एवं कृत कार्रवाई की सूचना कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को सूचित किया जाएगा।

(v) यदि कार्यकारिणी परिषद, कुलाधिपति को संतुष्टि के लायक युक्ति संगत समय के अंदर कार्रवाई न करे तो कुलाधिपति कार्यकारिणी परिषद के अभ्यावेदन या स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त ऐसा निर्देश जारी कर सकते हैं जो वह उचित समझे एवं कार्यकारिणी परिषद ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा।

अध्याय – 4
विश्वविद्यालय के प्राधिकार

13. **विश्वविद्यालय के प्राधिकार :**

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे :—

(i) सामान्य परिषद

(ii) कार्यकारिणी परिषद
(iii) विद्वत परिषद
(iv) वित्त समिति
(v) शैक्षिक योजना एवं विकास पर्षद तथा
(vi) ऐसे अन्य प्राधिकार जो विनियम से प्राधिकार घोषित किए जायें

14. **सामान्य परिषद :**

(i) सामान्य परिषद विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकार होगा,
(ii) सामान्य परिषद की कार्य एवं शक्तियाँ वही होंगी जो परिनियम में विहित हो ।

15. **कार्यकारिणी परिषद :**

(i) कार्यकारिणी परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगा तथा विश्वविद्यालय के परिसम्पत्ति एवं कोष को नियंत्रण एवं अधिशासित करेगा ।
(ii) कार्यकारिणी की संरचना अनुसूची में यथा विहित होगी ।

16. **विद्वत परिषद :**

(i) विद्वत परिषद विश्वविद्यालय का अकादमिक प्राधिकार होगा तथा अध्यादेश एवं विनियम के प्रावधानों के अधीन इसमें नियंत्रण एवं विनियम तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा शिक्षा एवं शिक्षण का स्तर से संदर्भित एवं अन्य ऐसी शक्तियों के उपयोग तथा ऐसे कार्यो के निष्पादन की शक्तियॉ होगी जो अध्यादेश एवं विनियम से संधारित की जाये । इन सभी अकादमिक मामलों में कार्यकारिणी परिषद को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

(ii) विद्वत परिषद को अनुसूची (परिनियम) की धारा 15 में उल्लिखित कंडिकाओं में प्रदत्त शक्तियों एवं संबंधित मामलों में परिनियम प्रस्तावित करने का अधिकार होगा ।

17. **शैक्षिक योजना एवं विकास समिति :**

(i) शैक्षिक योजना एवं विकास समिति में निम्नांकित रहेंगे :–

(क) विजिटर द्वारा नामित भारत के उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवा निवृत्त न्यायाधीश ।
(ख) कुलपति, जो अध्यक्ष होगें।
(ग) दो निदेशक / कुलपति द्वारा कुलाधिपति के परामर्श से झारखण्ड स्थित विश्वविद्यालयों के कुलपति।
(ध) कुलाधिपति द्वारा मनोनित विधि, सामाजिक विज्ञान, भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञान, औषधि, अभियंत्रण एवं प्रबंधन विषय में लब्ध प्रतिष्ठ छः शिक्षाविद्।
(च) राज्य के महाधिवक्ता ।
(छ) उच्च शिक्षा विभाग के सचिव
(ज) झारखण्ड राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष
(झ) चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इन्डस्ट्री के एक सदस्य

(ii) शैक्षिक योजना एवं विकास पर्षद वर्ष में न्यूनतम एक बार बैठक करेगी तथा विश्वविद्यालय के लिए भविष्य की योजना निरूपित करेगी एवं तत्सम्बन्धी अनुशंसा विद्वत परिषद् और कार्यकारिणी परिषद् की यथा आवश्यक विभिन्न कार्यो से सम्बन्धित दीर्घकालीन कार्य योजना की भी अनुशंसा करेगी ।

अध्याय – 5
विश्वविद्यालय के अधिकारी

18. विश्वविद्यालय के अधिकारी : विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:–

क. कुलपति
ख. कुलसचिव
ग. विभागों / केन्द्रों के अध्यक्ष
घ. वित्त पदाधिकारी
च. परीक्षा नियंत्रक और
छ. ऐसे सभी पदाधिकारी जो विनियम में उल्लिखित हो

अध्याय – 6
परिनियम, अध्यादेश एवं विनिमय

19. परिनियम

(i) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप तथा उसके अधीन विश्वविद्यालय के परिनियम में ऐसे अनुदेश, निर्देश प्रक्रिया तथा विस्तृत विवरण होंगे जो आवश्यक हों।

(ii) इस अधिनियम की अनुसूची में समावेशित परिनियम, जो समय–समय पर संशोधित हो, विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारों, अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियो एवं विश्वविद्यालय से जुड़े व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होगे ।

(iii) सामान्य परिषद स्वयं या कार्यकारिणी परिषद की अनुशंसा पर अध्यादेश की अनुसूची में संलग्न परिनियम में किसी प्रकार के संशोधन करने की शक्ति होगी । परन्तु, प्रस्तावित परिवर्तन के लिए विश्वविद्यालय में ऐसे प्राधिकारों को पर्याप्त अवसर दिए बिना उसकी संरचना स्तर या शक्तियों को प्रभावित करने वाला संशोधन कार्यकारिणी परिषद परिनियम में नहीं करेगा ।

(iv) परिनियम में कोई संशोधन, चाहे जोड कर, विलोपित कर या किसी और प्रकार का हो, प्रभावी नहीं होगा जब तक राज्य सरकार से विमर्शोपरांत कुलाधिपति सहमति नही दे । कुलाधिपति उक्त परामर्श के बाद यदि संतुष्ट हों कि सहमति नहीं देनी है तो वे अपनी सहमति रोक सकते हैं या संशोधन के प्रस्ताव को अपने मंतव्य के साथ यदि कोई हो, कार्यकारिणी के पुनर्विचार हेतु वापस कर सकते हैं ।

(v) उपयुक्त कंडिका (iii) या (iv) में अन्यथा उपबंधित के अलावे, कुलाधिपति को राज्य सरकार से परामर्शोपरांत, अनुसूची में समावेशित परिनियम में कुछ जोड़ कर, विलोपित कर या किसी प्रकार से संशोधित करने की शक्ति होगी ।

(vi) राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से परिनियम में संशोधन प्रभावी होगा।

20. **विश्वविद्यालय के अध्यादेश :**

(i) अध्यादेश तथा अनुसूची में समावेशित समय–समय पर संशोधित परिनियम के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय का अध्यादेश किसी या सभी मामलों के लिए कार्यकारिणी परिषद द्वारा प्रख्यापित किया जा सकता है, यथा :

क) पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों का नामांकन शुल्क, कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र तथा फेलोशिप प्रदान करने हेतु अहर्ता निर्धारण संबंधित ।

ख) परीक्षाओं के संचालन के साथ–साथ परीक्षकों की नियुक्ति तथा उनके नियुक्ति की शर्तों एवं बंधेजों का निर्धारण ।

ग) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों, संस्थानों, शोध इकाईयों एवं अन्य अभिकरण (agencies) का प्रबंधन तथा

घ) कोई अन्य विषय जो परिनियम द्वारा अपेक्षित हो पर विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा विचारित करना ।

(ii) राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की पूर्वानुमति से कुलपति, इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने के बाद जितना शीध्र हो सके, पहला अध्यादेश प्रख्यापित करेंगे तथा उसे अध्यादेश में विहित प्रक्रिया या परिनियम में उल्लिखित तरीके से किसी समय संशोधित किया जा सकेगा ।

(iii) उपर्युक्त कंडिका (ii) के प्रावधानों के अलावा कार्यकारिणी परिषद विश्वविद्यालय में नामांकन या परीक्षा, पाठ्यक्रम, परीक्षा की स्कीम, उपस्थिति, परीक्षकों की नियुक्ति से संदर्भित अध्यादेश पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक एतद् संबंधी प्रारूप विद्वत परिषद द्वारा प्रस्तावित नहीं हो ।

(iv) कार्यकारिणी परिषद विद्वत परिषद द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश के प्रारूप का तब तक संशोधन नहीं करेगा जब तक विद्वत परिषद संदर्भित संशोधन में सहमति प्रदान नहीं कर दे, किन्तु कार्यकारिणी समिति को प्रारूप को अस्वीकृत करने या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कार्यकारिणी द्वारा सुझाये संशोधनों के साथ विद्वत परिषद को पुनर्विचार के लिए वापस करने की शक्ति होगी ।

(v) **क)** कार्यकारिणी परिषद द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश का प्रारूप सामान्य परिषद को समर्पित किया जायेगा एवं उस पर सामान्य परिषद द्वारा अगली बैठक में विचार किया जाएगा एवं उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिस तिथि को सामान्य परिषद उसे संकल्प के माध्यम से स्वीकार करे ।

(ख) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बनाए गए किसी अध्यादेश को सामान्य परिषद् की सभा में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई मतों से अन्यून बहुमत द्वारा पारित संकल्प के द्वारा रदद् करने की शक्ति होगी तथा वैसा अध्यादेश, संकल्प की तिथि से निष्प्रभावी समझा जायेगा ।

21. **विनियम :**

अध्यादेश के अधीन, कार्यकारिणी समिति को अन्य निहित शक्तियों के अलावा, विश्वविद्यालय के प्रशासन एवं प्रबंधन प्रदान करने हेतु विनियम निर्माण करने की शक्ति होगी ।

परन्तु, यह कि कार्यकारिणी परिषद् ऐसे किसी विनियम का निर्माण नहीं करेगी जिससे किसी प्राधिकार के स्तर, शक्ति एवं संरचना पर प्रभाव पड़े जब तक ऐसे प्राधिकार

को प्रस्तावित परिवर्तन पर लिखित अभिमत प्रकट करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाए तथा ऐसे प्रकट किए गए अभिमत को कार्यकारिणी परिषद विचार न लें।

परन्तु, और यह कि विद्वत परिषद की पूर्व सहमति के बिना कार्यकारिणी परिषद निम्न एक या सभी विषय वस्तुओं को प्रभावित करने वाले विनियम कोई संशोधन या निरस्तीकरण नहीं करेगा :

(क) विद्वत परिषद की संरचना, शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य ।

(ख) पाठ्यक्रम तथा संबंधित अकादमिक कार्यक्रम से संदर्भित पढ़ाई के आयोजन से संबंधित व्यक्ति के संबंध में ।

(ग) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र तथा अन्य अकादमिक विशिष्टता की वापसी के संबंध में ।

(घ) संकायों, विभागों, हॉल तथा संस्थानों की स्थापना तथा बंद करने से संबंधित।

(ङ.) फेलोशिप, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, पदकों तथा पुरस्कारों का प्रायोजन विषयक।

(च) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्त्तें एवं पद्धति या परीक्षाओं के संचालन या स्तर या किसी अन्य पाठ्यक्रम के स्तर निधारण से संबंधित ।

(छ) विद्यार्थियों के पंजीयन या नामांकन की पद्धति तथा निर्धारण विषयक ।

(ज) विश्वविद्यालय परीक्षाएं जिनकी मान्यता विश्वविद्यालय परीक्षाओं के समतुल्यता प्रदान करनी हो ।

22. प्राधिकारो को विनियमन बनाने की शक्ति परिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार मामले के संचालन के लिए होगी। वैसे विनियम इस अधिनियम के प्रावधानों, परिनियमों तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के असंगत नहीं होंगे।

अध्याय –7
समीक्षा आयोग

23. **विश्वविद्यालय समीक्षा आयोग की नियुक्ति :**

(i) कुलाधिपति कम से कम पॉच वर्षों में एक बार या जब आवश्यक हो विश्वविद्यालय के कार्यकलापों की समीक्षा तथा अनुशंसा प्रदान करने हेतु, एक समीक्षा कमीशन का गठन करेंगे ।

(ii) कमीशन तीन विख्यात शिक्षा विदों से अन्यून सदस्यीय होगा, जिनमें से एक राज्य सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष होगा ।

(iii) सदस्यों की नियुक्ति की शर्त्तें एवं बंधेज वहीं होंगे जो कुलाधिपति तय करें।

(iv) कमीशन, जैसा वह उचित समझे, ऐसी जाँच के उपरांत कुलाधिपति को अपनी अनुशंसा देगा ।

(v) कुलाधिपति राज्य सरकार से परामर्शोपरांत, विश्वविद्यालय के कार्यकलाप तथा विकास पर समीक्षा कमीशन की संतुष्टि पर ऐसी कार्रवायी करेंगे, जो वे उचित समझें ।

24. **कार्रवाई का रिक्तियों या गठन में त्रुटि के कारण अमान्य न होना :**

(i) सामान्य परिषद, कार्यकारिणी परिषद्, अकादमिक परिषद या विश्वविद्यालय का कोई अन्य प्राधिकार या निकाय विधिवत गठित नहीं हो या इसमें गठन या किसी समय पुनर्गठन में कोई त्रुटि हो, और

(ii) ऐसे प्राधिकार या निकाय में सदस्यता की रिक्ति हो ; ऐसे प्राधिकारों की कार्यवाही या गठित नियम, ऐसे किसी कारण या कारणों से, अमान्य नहीं होंगे ।

25. प्रारंभ करने में कठिनाईयों को दूर करना :

यदि विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय में किसी प्राधिकार की पहली बैठक या इस अधिनियम या विनियम को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो कुलाधिपति, किसी भी समय विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारों के स्थापना के पूर्व, जहाँ तक संभव हो, इस अधिनियम और विनियम के अनुकूल आदेश द्वारा कोई नियुक्ति या कोई कार्यवाही कर सकता है, जो उसे कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन लगे और ऐसे सभी आदेश का प्रभाव वैसा ही होगा मानो वैसी नियुक्ति या कार्यवाही इस अधिनियम एवं विनियम के अंतर्गत किये गये प्रावधानों के तहत की गई हो ।

परन्तु यह और कि ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व कुलाधिपति, कुलपति और विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकार जो स्थापित किये गये हो, का मत प्राप्त कर उस पर विचार करेंगे ।

अनुसूची
(धारा–17 देखें)
परिनियम

सामान्य परिषद :

1. **सामान्य परिषद् की सदस्यता :** विश्वविद्यालय का एक सामान्य परिषद् होगा जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे
   - (i) कुलाधिपति,
   - (ii) भारत के महान्यायवादी अथवा भारत के प्रतिवक्ता महान्यायविद्,
   - (iii) विधि सचिव, झारखण्ड सरकार,
   - (iv) उच्च शिक्षा सचिव, झारखण्ड सरकार ,
   - (v) वित्त सचिव, झारखण्ड सरकार,
   - (vi) अध्यक्ष, झारखण्ड मानवाधिकार आयोग,
   - (vii) अध्यक्ष, झारखण्ड बार काउंसिल,
   - (viii) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति,
   - (ix) कुलाधिपति द्वारा नामित विधि या विधि शिक्षा में ख्याति प्राप्त दो व्यक्ति,
   - (x) कुलपति,
   - (xi) विजिटर द्वारा नामित एक लब्धप्रतिष्ठ शिक्षाविद,
   - (xii) रेक्टर द्वारा नामित एक लब्धप्रतिष्ठ शिक्षाविद्,
   - (xiii) चक्रानुक्रम से राज्य के विश्वविद्यालयों के एक कुलपति तीन वर्ष के लिए (चक्रानुक्रम का आधार विश्वविद्यालय की स्थापना तिथि होगी),
   - (xiv) महाधिवक्ता झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची,
   - (xv) कुल सचिव,
   - (xvi) विश्वविद्यालय के दो वरीयतम प्राचार्य।
   - (xvii) विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामित राज्य विधान सभा का तीन सदस्य।

2. **दाता सदस्य :** कोई व्यक्ति जो किसी एक समय विश्वविद्यालय को एक करोड़ से अधिक की राशि की दान दे वह सामान्य परिषद् का आजीवन दाता सदस्य होगा तथा कुलाधिपति के अनुमोदन से बैठकों में भाग लेने के लिए उसे एक प्रतिनिधि को नामित करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

3. **सामान्य परिषद् का अध्यक्ष तथा सचिव :**
   - (i) कुलाधिपति सामान्य परिषद् के अध्यक्ष होंगे
   - (ii) कुलसचिव सामान्य परिषद् के सचिव होंगे

4. **सामान्य परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल :**
   - (i) दाता सदस्यों, यदि हों, को छोड़कर निम्नांकित उपकंडिकाओं (ii)तथा (iii) के अधीन रहते हुए, सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षो का होगा । परन्तु यह कि प्रथम सामान्य परिषद् का कार्यकाल इस अनुसूची में विहित प्रावधानों के तहत नियमित सामान्य परिषद् गठित होने पर समाप्त हो जाएगा ।
   - (ii) यदि कोई सदस्य सामान्य परिषद् का सदस्य अपने पद या नियुक्ति के कारण बना हो या नामित हो तो उसकी सदस्यता, पदत्याग, नियुक्ति की समाप्ति या जैसा मामला हो, उनके मनोनयन वापसी या निरस्त होने पर समाप्त हो जायेगी ।
   - (iii) किसी सदस्य की सामान्य परिषद् की सदस्यता समाप्त हो जायेगी :–
     - (क) यदि वह इस्तीफा दे, या विकृत मानस का हो जाय, या दिवालिया हो जाये, या अपराधिक मामले में दंडित हो,

(ख) कुलपति के अलावे कोई ऐसा सदस्य जो विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक कर्मचारी बन जाये,

(ग) अध्यक्ष की अनुमति के बिना नामित सदस्य यदि सामान्य परिषद् की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित हो,

(iv) पदेन सदस्यों के अलावा सामान्य परिषद् का कोई अन्य सदस्य अपने पद से त्याग पत्र अध्यक्ष को संबोधित पत्र के द्वारा कर सकेगा एवं ऐसा त्यागपत्र, अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र मंजूर करते ही प्रभावी हो जायेगा ।

(v) सामान्य परिषद् की कोई रिक्ति, व्यक्ति की नियुक्ति अथवा मनोनयन द्वारा, जैसा भी मामला हो, संबंधित कार्य के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा भरा जायेगा एवं इस प्रकार नियुक्त अथवा नामित व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या मनोनयन हुई हो, रिक्त नहीं होने पर पद धारण करता ।

5. **सामान्य परिषद् की शक्तियाँ :**

(i) सामान्य परिषद् को विश्वविद्यालय के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक, सभी शक्तियाँ एवं प्राधिकारों की कार्रवाईयों की समीक्षा समेत विश्वविद्यालय के मामलों के संचालन की शक्ति तथा कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्मित विनियम की समीक्षा करने की शक्ति होगी एवं अध्यादेश में अन्यथा प्रावधानित को छोड़कर विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(ii) उपकंडिका (i) में अवधारित सामान्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सामान्य परिषद् –

(क) विश्वविद्यालय की सामान्य नीति एवं योजनाओं की अनुशंसा करेगा एवं विश्वविद्यालय के विकास एवं उन्नयन के लिए सुझाव देगा ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय आकलनों तथा ऐसे लेखे के अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर विचार कर संकल्प पारित करेगा ।

(ग) विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा कार्य कलाप के उन्नयन के लिए, जो वह उचित समझे, वैसे कार्य संपादित करेगा जो अध्यादेश के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं हो ।

6. **सामान्य परिषद् की सभाएं :**

(i) सामान्य परिषद की सभा छः माह में एक बार होगी । जब तक सामान्य परिषद् किसी वर्ष के लिए कोई अन्य तिथि नियत नहीं करे तब तक कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्धारित तिथि को सामान्य परिषद् की वार्षिक बैठक होगी ।

(ii) विजिटर अगर उपस्थित हों तो सामान्य परिषद की बैठको की अध्यक्षता करेगें, परन्तु, उनकी अनुपस्थिति में कुलाधिपति बैठक की अध्यक्षता करेंगे, बशर्ते कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलाधिपति के प्रतिनिधि जो सामान्य परिषद के सदस्यों में से एक होगे सामान्य परिषद की अध्यक्षता करेंगे ।

(iii) सामान्य परिषद् की बैठक में कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के पूर्व वर्ष के कार्यकलापों के साथ आय–व्यय विवरणी तथा अंकेक्षित प्रतिवेदन तथा वित्तीय आकलन पर रपट प्रस्तुत की जायेगी ।

(iv) सामान्य परिषद् की बैठक या तो कुलपति स्वयं या पदेन सदस्यों सहित सामान्य परिषद के दो तिहाई सदस्यों के आग्रह पर बुला सकेगा ।

(v) सामान्य परिषद् की हर बैठक के लिए कम–से–कम 15 दिनों की पूर्व सूचना दी जायेगी ।

(vi) गणपूर्ति के लिए सामान्य परिषद् के एक तिहाई सदस्यों की संख्या आवश्यक होगी ।

(vii) प्रत्येक सदस्य का एक मत (Vote) होगा और सामान्य परिषद् द्वारा निर्णय लिए जाने के प्रश्न पर यदि बराबर मत आ जाए तो अध्यक्ष या अध्यक्षता करता हुआ व्यक्ति एक निर्णायक मत प्रदान करेगा ।

(viii) यदि सदस्यों में मतैक्य नहीं हो तो बहुमत की राय मान्य होगी ।

(ix) यदि सामान्य परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवायी करना आवश्यक हो तो अध्यक्ष सामान्य परिषद् के सदस्यों के बीच कागजात के परिचालन द्वारा बैठक की कार्रवाई पूरा करने की अनुमति दे सकेगा । फिर भी प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक बहुमत से सामान्य परिषद् के सदस्य सहमत न हो जायें । इस प्रकार के कृत कार्रवाई से तुरन्त सामान्य परिषद् के सदस्यों को अवगत कराया जायेगा एवं संपुष्टि के लिए कागजात सामान्य परिषद् की अगली बैठक में रखा जायेगा ।

कार्यकारिणी परिषद

7. **कार्यकारिणी परिषद् की सदस्यता :**

1. कार्यकारिणी परिषद् निम्नांकित से गठित होगा, यथा :

(i) कुलपति,

(ii) सामान्य परिषद् का तीन सदस्य (सामान्य परिषद् द्वारा नामित),

(iii) विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामित एक राज्य विधान सभा के सदस्य

(iv) रेक्टर द्वारा नामित एक सदस्य

(v) कुलाधिपति द्वारा नामित झारखण्ड उच्च न्यायालय के एक वर्त्तमान न्यायाधीश,

(vi) विजिटर द्वारा नामित एक सदस्य,

(vii) महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची,

(viii) विधि सचिव, झारखण्ड सरकार या उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति, किन्तु अपर विधि परामर्शी से न्यून स्तर का नहीं,

(ix) सचिव, उच्च शिक्षा, झारखण्ड सरकार,

(x) वित्त सचिव, झारखण्ड या उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति जो वित्त विभाग के विशेष सचिव से अन्यून न हों,

(xi) सचिव, समाज कल्याण विभाग, झारखण्ड,

(xii) अध्यक्ष, राज्य बार काउंसिल, झारखंड,

(xiii) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से मनोनित दो वरीयतम संकाय सदस्य।

2. कुलपति अध्यक्ष तथा कुलसचिव कार्यकारिणी परिषद् के सचिव होंगे ।

8. **कार्यकारिणी परिषद् का कार्यकाल :**

(i) यदि कोई व्यक्ति अपने पद या नियुक्ति के आधार पर कार्यकारिणी परिषद् का सदस्य बना हो तो उसकी सदस्यता पद त्यागने या नियुक्ति समाप्त होने पर समाप्त हो जायेगी ।

(ii) कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी, यदि वह त्याग पत्र दे, या विकृत मानस का हो जाये, या दिवालिया हो जाये, या नैतिक पतन से संबंधित, अपराधिक मामले में दोष–सिद्ध हो या कुलपति के अलावे संकाय का

सदस्य विश्वविद्यालय की पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता हो, या पदेन सदस्य को छोड़कर अन्य कोई सदस्य कार्यकारिणी परिषद् के अध्यक्ष की अनुमति के बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।

(iii) जब तक कि उपर्युक्त कंडिकाओं में निहित कारणों से किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त नहीं हुई हो तब तक कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल कार्यकारिणी परिषद् की सदस्यता प्राप्त करने की तिथि से अधिकतम तीन वर्षों का होगा । बावजूद इसके कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

(iv) कार्यकारिणी के सदस्य (पदेन सदस्यों से भिन्न) कार्यकारिणी परिषद् के अध्यक्ष को संबोधित पत्र के द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं एवं ऐसा त्यागपत्र उसी समय से प्रभावी हो जायेगा जब कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष उसे स्वीकार कर लें ।

(v) कार्यकारिणी परिषद की किसी रिक्ति को नियुक्ति या मनोनयन, जैसी स्थिति हो, इस कार्य को करने के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा भरा जायेगा तथा रिक्ति के समाप्त होने पर वैसी नियुक्ति या मनोनयन का प्रभाव समाप्त हो जायेगा ।

9. **कार्यकारिणी परिषद् की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य :**

खंड–5 में किसी प्रावधान से पूर्वाग्रहरहित रहते हुये कार्यकारिणी परिषद् की निम्नांकित शक्तियों एवं कर्त्तव्य होगें, यथा :

(1) संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष (शोध एवं प्रशिक्षण), कुल सचिव, पुस्तकालयाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक या अन्य शैक्षिक कर्मचारियों, जिनकी सेवा आवश्यक हो, की समय–समय पर नियुक्ति निम्नांकित रूप से गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की जा सकेगी :–

(i) कुलपति (अध्यक्ष)
(ii) महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय
(iii) सचिव, उच्च शिक्षा, झारखण्ड सरकार
(iv) संबंधित विभागाध्यक्ष
(v) विद्वत परिषद द्वारा अनुमोदित पैनल से कुलपति द्वारा मनोनित संबंधित डिसीप्लीन(विषय) / क्षेत्र के तीन विषय–विशेषज्ञ

वावजूद इसके कुलपति को, अनुबंध के आधार पर विश्वविद्यालय एवं इसके महाविद्यालयों के पदाधिकारियों एवं शिक्षकों की स्वीकृत पद के विरूद्ध जिस अवधि तक उचित समझें नियुक्ति करने की शक्ति होगी ।

(2) कुलाधिपति के अनुशंसा के पश्चात प्रशासनिक, शैक्षणिक, शोध, अनुसचिवीच एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन करने तथा उनकी संख्या एवं ऐसे पदों को देय परिलब्धियाँ निर्धारित करने तथा ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हता विर्निदिष्ट करने तथा उपधारा (1) के उपबंधों को अनुसार ऐसे पदों पर यचेस्ट चयन, ऐसी सेवाशर्त्तो एवं बंधेजों के अधीन, जैसा कि इस अनुसार विनियमित हो, अथवा नियुक्ति करने के अधिकार को ऐसे प्राधिकारी अथवा पदाधिकारी अथवा पदाधिकारियों, जैसा कि कार्यकारणी परिषद समय–समय पर साधारण अथवा विशेष संकल्प के निर्देश द्वारा प्रत्यायोजित करें ।

(3) विश्वविद्यालय के अधिकारियों को आकस्मिक अवकाश से भिन्न अवकाशों की स्वीकृति देना तथा उनकी अनुपस्थिति में उनके कार्यों के निबटारे के लिए आवश्यक व्यवस्था करना ।

(4) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, निवेशों, परिसंपत्तियों, अन्य मामलों और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन तथा नियंत्रण करना तथा इस हेतु ऐसे अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति करना जो यह उचित समझे ।

(5) विश्वविद्यालय के धन, (अप्रयुक्त धन सहित) का स्टॉक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में समय–समय पर, जैसा यह उचित समझे, निवेश करना, या भारत में अचल संपत्तियों का क्रय करना, तथा समय–समय पर ऐसे निवेशों को बदलते रहने की समान शक्ति रखना ।

(6) विश्वविद्यालय की ओर से चल, अचल संपत्ति को हस्तानांतरण तथा ग्रहण करना।

(7) विश्वविद्यालय की ओर से एकरारनामा करना, एकरारनामा में परिवर्त्तन करना, संचालित करना तथा रद्द करना, एवं इस हेतु ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना, जो वह उचित समझे ।

(8) विश्वविद्यालय के कार्यों को चलाने के लिए भवनों, परिसरों, उपस्करों तथा उपकरणों एवं अन्य साधनों की व्यवस्था करना ।

(9) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का क्रय करना या दान स्वीकार करना ।

(10) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों, जो किसी कारण से क्षुब्ध हों की शिकायत सुनना, निर्णय देना एवं यदि उचित समझे तो निवारण करना ।

(11) विद्वत परिषद् से परामर्शोपरांत, परीक्षकों तथा मोडरेटर्स की नियुक्ति एवं यदि आवश्यक हो तो, उन्हें हटाना तथा उनके फीस, मानदेय, यात्रा एवं अन्य भत्ते निर्धारित करना ।

(12) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुहर चुनना एवं मुहर की अभिरक्षा की व्यवस्था करना एवं ऐसे सभी कार्य करना जो इसे अधिनियम के द्वारा या अन्तर्गत प्रदान किया गया हो ।

10. **कार्यकारिणी समिति की बैठक :**

(i) कार्यकारिणी समिति की बैठक कम–से–कम छः माह में एक बार होगी तथा बैठक के लिए कम से कम 15 दिनों की पूर्व सूचना दी जायेगी ।

(ii) इसकी किसी बैठक के लिए कुल सदस्यों की आधी संख्या गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगी।

(iii) सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में बहुमत का विचार प्रभावी होगा ।

(iv) कार्यकारिणी परिषद के हर सदस्य का एक मत होगा और यदि कार्यकारिणी परिषद द्वारा विचार किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर मत प्राप्त हो जाये तो कुलपति या बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदस्य, निर्णायक मत देंगे ।

(v) कार्यकारिणी परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति करेंगे एवं उनकी अनुपस्थिति में उस अवसर पर उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे ।

(vi) यदि कार्यकारिणी परिषद द्वारा महत्पपूर्ण कार्रवाई करना आवश्यक हो जाये तो कुलपति कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के बीच कागजातों के परिचालन द्वारा कार्य संपादित कर सकेंगे । प्रस्तावित कार्यवाई तबतक नहीं की जायेगी जब तक कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के बहुमत से यह मान्य न हो तथापि कार्यकारिणी

परिषद के सदस्यों को कृत कार्रवायी की सूचना तुरंत दी जायेगी । कागजातों को कार्यकारिणी परिषद की अगली बैठक में सूचना के लिए रखा जायेगा ।

11. **स्थायी समिति का गठन एवं कार्यकारिणी परिषद द्वारा तदर्थ समिति का गठन :**

इस हेतु अधिनियम एवं परिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यकारिणी परिषद संकल्प द्वारा स्थायी समिति का गठन या तदर्थ समिति की नियुक्ति, ऐसे उद्देश्यों के लिए एवं ऐसी शक्तियों के साथ कर सकेगी जिसे कार्यकारिणी परिषद किसी भी शक्ति के निष्पादन या विश्वविद्यालय के किसी भी कर्त्तव्य के पालन या जाँच के लिए या विश्वविद्यालय के मामलों से संबंधित विषय पर परामर्श देने के लिए कर सकेगी ।

(ii) कार्यकारिणी परिषद स्थायी समिति या तदर्थ समिति के लिए वैसे व्यक्ति का चयन कर सकते है , जैसा यह उचित समझे तथा उन्हें कार्यकारिणी परिषद की बैठक में भाग लेने की अनुमति दे सकती है ।

12. **(क) पदों का आरक्षण**

कार्यकारिणी परिषद शैक्षिक तथा शिक्षकेत्तर पदों पर आरक्षण की व्यवस्था झारखण्ड सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार विनियम के द्वारा करेगी ।

(ख) विभिन्न पाठ्यक्रमों के नामांकन में सीटों का आरक्षण :

अध्ययन की प्रत्येक विधा के पचास प्रतिशत स्थान झारखण्ड राज्य के निवासी या झारखण्ड राज्य में अवस्थित संस्थानों से अहर्त्ता (Qualifying) परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थियों एवं केन्द्रीय /राज्य सरकार / विश्वविद्यालयों / लोक उपक्रमों / निकायों बोर्ड / अकादमियों इत्यादि के कर्मचारियों के पाल्यों (Wards) के लिए आरक्षित होगी । इन स्थानों पर झारखण्ड राज्य की एतद् संबंधित आरक्षण नीति लागू होगी ।

13. **कार्यकारिणी परिषद द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन :**

कार्यकारिणी परिषद संकल्प द्वारा कुलपति को या समिति को इस शर्त के साथ शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी कि इन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर कृत कार्रवाई की सूचना कार्यकारिणी परिषद की अगली बैठक में प्रतिवेदित की जाय ।

विद्वत परिषद

14. **विद्वत परिषद की सदस्यता :**

(i) विद्वत परिषद् निम्नांकित व्यक्तियों से गठित होगी, यथा

क) कुलपति, जो उसके अध्यक्ष होंगे ।

ख) ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों या विद्वानों या ख्याति प्राप्त लेखकों, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो, में से कुलाधिपति द्वारा नामित तीन व्यक्ति ।

ग) सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड सरकार

घ) भारत के बार काउंसिल के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति

ड) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष

च) सभी आचार्य (विभागाध्यक्ष के अलावे)

छ) विश्वविद्यालय के सह एवं सहायक प्राध्यापकों की कोटि से वरीयता के आधार पर चक्रानुक्रम, से, दो सदस्य कुलपति द्वारा मनोनीत किया जायेगा, परन्तु कि ऐसे सह एवं सहायक प्राध्यापक जिनका मनोनयन कुलपति द्वारा कार्यकारिणी परिषद के सदस्य रूप में किया गया है, कुलपति के द्वारा विद्वत परिषद के रूप में मनोनीत किया जायेगा, परन्तु

और यह कि उपखण्ड (1) (घ) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के कर्मचारी मनोयन के पात्र नहीं होंगे ।

(ii) पदेन सदस्यों के छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा ।

15. **विद्वत परिषद की कार्य एवं शक्तियॉ :**

इस अधिनियम एवं विनियम के अध्यधीन अन्य शक्तियों के अधिरोपित रहने के अलावे विद्वत परिषद की निम्नांकित शक्तियॉ होंगी :

क) सामान्य परिषद कार्यकारिणी परिषद द्वारा भेजे गए या सौंपे गए किसी मामले में रपट देना ।

ख) विश्वविद्यालय में पंजीकृत व्यक्तियों के अलावे व्यक्तियों के अनुदेशों तथा परीक्षाओं की व्यवस्था विनियम के माध्यम से करना ।

ग) शोध का उन्नयन करना तथा समय–समय पर ऐसे शोध पर रिपोर्ट मांगना ।

घ) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना ।

ड) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए समितियॉ नियुक्त करना ।

च) अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के डिप्लोमा तथा उपाधियों की मान्यता प्रदान करना तथा विश्वविद्यालय के डिप्लोमा तथा उपाधियों से समतुल्यता निर्धारित करना ।

छ) फेलोशिप, स्कोलरशिप तथा पारितोषिकों के लिए सामान्य परिषद द्वारा किसी शर्त को मान लेने के बाद प्रतियोगिता के लिए समय, तरीका तथा शर्त्तों को निर्धारित करना एवं उनको प्रदान करना ।

ज) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो तो हटाने एवं उनके फीस मानदेय तथा यात्रा एवं अन्य भत्तों के लिए कार्यकारिणी परिषद को संस्तुति देना ।

झ) परीक्षाओं की संचालन की व्यवस्था करना एवं उनके तिथियों को निर्धारित करना।

(ञ) विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षाफलों की घोषणा या समितियों या अधिकारियों को ऐसा करने के लिए नियुक्त करना एवं उपाधियों, सम्मान, डिप्लोमा, उपाधि एवं सम्मान चिन्ह स्वीकृत तथा प्रदान करना । छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, पदकों एवं पारितोषिकों एवं अन्य परिलब्धियों को यथाविहित विनियम के प्रावधानों एवं उससे जुड़े अन्य शर्त्तो के अधीन प्रदान करना ।

(त) पाठ्य–पुस्तकों की स्वीकृति या निर्धारित सूची को प्रकाशित करना एवं पाठ्यक्रम या पाठ्य सूची को प्रकाशित करना ।

(थ) ऐसे प्रपत्र एवं पंजी बनाना एवं अन्य ऐसे कृत्य करना जो कि इस अध्यादेश एवं विनियम के प्रावधानों के उचित ढंग से संचालन हेतु आवश्यक हो ।

16. **विद्वत परिषद की बैठकें आहूत करने की प्रकिया :**

(i) विद्वत परिषद की बैठकें जितनी आवश्यक हो की जा सकती हैं किन्तु, एक शैक्षणिक वर्ष में दो बैठकों से कम बैठके आयोजित नहीं की जायगी ।

(ii) विद्वत परिषद के कुल सदस्यों के आधे सदस्य गणपूर्ति के लिए आवश्यक होंगे ।

(iii) विद्वत परिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता विद्वत परिषद के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी किन्तु उनकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थिति सदस्यों द्वारा चुने गए एक सदस्य बैठक की अध्यक्षता इस अवसर पर करेंगे ।

(iv) यदि विद्वत परिषद द्वारा कोई तात्कालिक कार्रवाई आवश्यक हो तो विद्वत परिषद के अध्यक्ष विद्वत परिषद के सदस्यों के बीच कागजातों के परिचालन द्वारा कार्यवाही संपादित कर सकते है । प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की

जायेगी जब तक विद्वत परिषद के अधिकांश सदस्यों की सहमति हो । इस प्रकार कृत कार्रवाई को विद्वत परिषद के सदस्यों को तुरंत सूचित किया जायेगा । कागजातों को विद्वत परिषद की अगली बैठक में सूचनार्थ रखा जायेगा ।

वित्त समिति

17. (i) **कार्यकारिणी परिषद् निम्नांकित सदस्यों से एक वित्त समिति का गठन करेगी, यथा :**

क) कुलपति

ख) कार्यकारिणी परिषद द्वारा अपने बीच से मनोनीत एक सदस्य

ग) झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग से एक–एक अधिकारी (किन्तु उपसचिव स्तर से न्यून नही)

घ) विश्वविद्यालय का वित्त पदाधिकारी ।

ङ) कुलपति द्वारा मनोनीत एक वरीय शिक्षक जो वित्त एवं लेखा में खासकर विशेषज्ञ हो ।

च) कुल सचिव जो वित्त समिति के सदस्य सचिव होगे ।

(ii) **वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षो का होगा ।**

(iii) वित्त समिति के कार्य–कलाप एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे, यथा

क) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट को जॉचना एवं समीक्षा करना एवं वित्तीय मामलों के कार्यकारिणी परिषद को अनुशंसा करना ।

ख) नए व्यय के प्रस्तावों पर विचार करना तथा कार्यकारिणी परिषद को संस्तुति देना ।

ग) लेखा के सावधिक विवरणियों पर विचार करना एवं समय–समय पर विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना एवं पुनर्विनियोग पर विचार करना ।

घ) विवरणियों एवं अंकेक्षण रिपोर्टो की जाँच करना एवं कार्यकारिणी परिषद को संस्तुति देना ।

ङ) स्वयं या कार्यकारिणी परिषद द्वारा कुलपति द्वारा मांगे जाने पर विश्वविद्यालय के किसी वित्तीय प्रश्न को प्रभावित करने वाले किसी प्रश्न पर अपना विचार तथा संस्तुति देना ।

(iv) वित्त समिति की बैठक वर्ष में दो बार होगी । वित्त समिति के पाँच सदस्य गणपूर्ति के लिए आवश्यक होंगे ।

(v) वित्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता कुलपति करेंगे । विचारों में विभेद की स्थिति में सदस्यों के बहुमत की राय मान्य होगी ।

शिक्षकों का चयन एवं हटाया जाना

18. **चयन समिति :**

कुलाधिपति के लिखित पुर्वानुमोदनोपरांत ही विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति होगी ।

परन्तु, इस हेतु विनियम द्वारा ही सारी नियुक्तियॉ संचालित होगी ।

परन्तु, यह और कि शैक्षणिक पदों पर एवं अधिकारियों की नियुक्ति अध्यादेश की धारा 9(i) में उल्लिखित प्रावधानों के तहत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की जायगी ।

19. कुलपति :

कुलपति की नियुक्ति एवं इनकी शक्तियाँ :–

(i) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा खंड (ii) के अंतर्गत गठित समिति द्वारा अनुशंसित तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल से किया जायगा।

परन्तु यदि कुलपधिपति यथा अनुशंसित वयक्तियों में से किसी का भी नाम स्वीकृत नहीं करते, तो वे नयी अनुशंसा की माँग कर सकेगें ,

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट समिति तीन विशिष्ट व्यक्तियों से निर्मित होगी, जिसमें एक कार्यकरिणी समिति द्वारा एक राज्य सरकार द्वारा एवं खण्ड कुलाधिपति द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत न्यायाधीश में से मानोनीत किये जायेगें। कुलाधिपति द्वारा मनोनीत सदस्य समिति के संचालक होंगे, बशर्त्ते विश्वविद्यालय का कोई कर्मी समिति का सदस्य मनोनीत नहीं होगा,

(iii) कुलपति जो शिक्षाविद् व्यक्ति एवं खण्ड अतिविशिष्ट विधि विद्वान या प्रसिद्ध जुरिस्ट होंगे विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वैतनिक पदाधिकारी होंगे ।

(iv) कुलपति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्षों की कालावधि या सत्तर वर्ष उम्र प्राप्ति, जो भी पहले हो, तक पदधारण करेंगे और वे सत्तर वर्ष की उम्र प्राप्ति तक पुनः नियुक्ति के योग्य होंगे। परन्तु अधिकतम दो कालावधि के लिए नियुक्त होंगे ।

परन्तु यह कि कुलाधिपति कुलपति की कालावधि की समाप्ति के पश्चात, उन्हें निर्दिष्ट अवधि जो कुलमिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, तक के लिए पद पर बने रहने के लिए अधिकृत कर सकते है ।

(v) कुलपति के वेतन परिलब्धियाँ एवं सेवा की अन्य शर्त्तें विनियम द्वारा निर्धारित होंग।

(vi) यदि कुलपति का पद मृत्यु त्यागपत्र या अन्यथा रिक्त हो जाना है या वह अस्वस्थता या अन्य कारणों से अपने कार्यनिर्वहन में असमर्थ हो जाना है, कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के एक प्रधध्यापक को यथास्थित जबतक कि नये कुलपति द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता या वर्त्तमान कुलपति द्वारा पुनः कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाना, कुलपति के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए नामित करने का अधिकार होग।

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति– कुलपधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से ऐसी शर्त्तों पर जो निर्दिष्ट किये जाये, अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा।

20. कुल सचिव :

(1) कुल सचिव, जो प्राध्यापक के पद से अन्यून स्तर के नहीं होगें, की निुक्ति चयन समिति, जिसका गठन परिनियम के उपखण्ड 9 (1) के प्रावधानों के अनुसार होना है, की अनुशंसा पर कार्यकारिणी समिति द्वारा की जायेगी, और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा। कुल सचिव की सेवाशर्तें तथा बंधेज ऐसी होगी, जो परिनियम द्वारा विहित की जॉय। परंतु , यह कि प्रथम कुल सचिव कुलाधिपति द्वारा नामित होगा जिसकी अर्हता ऐसी होगी जो उनके (कुलधिपति) द्वारा निर्धारित किया जाये।

(2) कुल–सचिव कार्यकारिणी परिषद, वित्त समिति एवं संकायों के पदेन सचिव होगें किन्तु उन्हें इस प्राधिकारों का सदस्य नहीं माना जायगा ।

(3) कुल सचिव

क) कार्यकारिणी परिषद एवं कुलपति के सभी आदेशों का अनुपालन करेंगे ।

ख) अभिलेखों, सामान्य मुहर एवं विश्वविद्यालय की अन्य परिसंपत्तियॉ जिसे कार्यकारिणी परिषद उनके प्रभार में देना चाहे, के परिरक्षक होगें ।

ग) सामान्य परिषद कार्यकारिणी परिषद, विद्वत परिषद, वित्त समिति एवं विश्वविद्यालय के संकाय एवं विश्वविद्यालय के प्राधिकार द्वारा नियुक्त समिति की बैठक आहूत करने हेतु सूचना जारी करेंगे ।

घ) सामान्य परिषद, कार्यकारिणी परिषद, विद्वत परिषद, वित्त समिति एवं विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार द्वारा नियुक्त समिति की सभी बैठकों का कार्यवृत रखेंगे ।

ङ) कार्यकारिणी परिषद एवं विद्वत परिषद के सभी कार्यालयीय पत्राचार करेंगे

च) प्राधिकार की बैठक आहूत होने के सामान्यतया तथा एक माह के पूर्व कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के प्राधिकारों की बैठकों के कार्यविन्दु की प्रतियॉ निर्गत की जाएगी एवं बैठकों के कार्यवृत्त उनके आयोजित होने के एक माह के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा ।

छ) आपात काल में कार्यकारिणी परिषद की बैठक तुरंत आहूत करेंगे जब न तो कुलपति और न ही विधिवत अधिकृत पदाधिकारी कार्रवाई करने की स्थिति में हो एवं विश्वविद्यालय के कार्यो को निष्पादित करने के लिए इस बैठक में निर्देश प्राप्त करेंगे ।

ज) कुलपति के प्रति, अपने कार्यो एवं शक्तियों के उचित निर्वहन करने के लिए सीधे उत्तरदायी होंगे ।

झ) कार्यकारिणी परिषद या कुलपति द्वारा समय–समय पर सौंपे अन्य कार्यो का निष्पादन करेंगे ।

ञ) कुलसचिव का पद किसी कारणवश रिक्त रहने की स्थिति में कुलपति का यह अधिकार होगा कि विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी को कुलसचिव के वैसे शक्तियों एवं कर्तव्यों को संचालित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे जैसा वह ठीक समझे ।

वित्त पदाधिकारी

21. वित्त पदाधिकारी :

विश्वविद्यालय का एक वित्त पदाधिकारी होगा जो विश्वविद्यालय के वित्त का नियंत्रण एवं अनुश्रवण करेगा परन्तु झारखण्ड सरकार प्रथम वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति एवं प्रतिनियोजन कर सकेगी ।

भविष्य निधि, उपादान एवं पेंशन

22. भविष्य निधि, उपादान, पेंशन एवं अन्य लाभकारी योजना :

विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, भविष्य निधि एवं अन्य लाभकारी योजना के अधिकारी होगें, जो कार्यकारिणी परिषद द्वारा एतद् हेतु विनियम में प्रावधानित हो, बशर्त्ते वह विनियम, भविष्य निधि, उपादान, पेंशन एवं अन्य लाभकारी योजना वर्त्तमान विधायी की दृष्टि से समान हों।

23. विश्वविद्यालय की निधि :

(i) यह विश्वविद्यालय स्व वित्त पोषित होगी तथा उसमें निधि के निमांकित स्रोत होंगे:–

क) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहयोग या अनुदान राशि ।

ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सहयोग या अनुदान राशि ।
ग) भारत के विधिक संघ द्वारा दिया गया कोई अंशदान ।
घ) भारत के विधिक संघ न्यास द्वारा दिया गया कोई अंशदान ।
ड़) राज्य विधिक परिषद द्वारा दिया गया कोई अंशदान ।
च) किसी निजी व्यक्ति या संस्थान द्वारा अंतरदान, दान, वृत्ति दान या अनुदान ।
छ) विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क एवं चार्ज से प्राप्त आय।
ज) किसी स्रोत से प्राप्त धन राशि ।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 1934 (केन्द्रीय धारा संख्या–2/1934) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी अनुसूची बैंक या बैंकिंग कंपनीज या बैकिंग कंपनियों की धारा 1970 (केन्द्रीय धारा नं0 5) तथा बैंकिग अधिग्रहण एवं प्रतिष्ठानों का स्थानान्तरण (धारा 1980) (1980 की केन्द्रीय धारा सं0 40) तथा भारतीय न्यास धारा 1942 के तहत अधिकृत प्रतिभूतियों में (1982 की केन्द्रीय धारा सं0 2) जैसा भी कार्यकारिणी परिषद द्वारा निर्णय किया जाए, में कोष की राशि को जमा अथवा उसका निवेश किया जायेगा ।

(iii) विश्वविद्यालय के निर्धारित विनियमों द्वारा निर्धारित किसी भी कार्य हेतु कथित कोष का उपयोग किया जा सकता है ।

24. **वार्षिक लेखा, अंकेक्षण और वित्तीय आकलन :**

(i) कार्यकारी परिषद के निर्देश के तहत विश्वविद्यालय का लेखा प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा ।

(ii) कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त अंकेक्षक, विश्वविद्यालय के लेखा का वर्ष में एक बार अंकेक्षण करेगा,परन्तु यह कि राज्य सरकार आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय के लेखा तथा उसके अन्य संस्थानों का अंकेक्षण करवा सकता है ।

(iii) लेखा के अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद उसे प्रकाशित कर लेखा की एक प्रति के साथ अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद, कुलाधिपति के तथा राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगी ।

(iv) सामान्य परिषद द्वारा वार्षिक बैठक में वार्षिक लेखा पर विचार–विमर्श होगा तथा उसमें सामान्य परिषद प्रस्ताव पारित कर कार्यकारी परिषद को संसूचित करेगा । सामान्य परिषद द्वारा निर्गत परामर्शो पर कार्यकारी परिषद विचार–विमर्श करेगी तथा जैसा उचित समझेगी, वैसा करेंगी । सामान्य परिषद की अगली बैठक में कार्यकारी परिषद उन तमाम किये गये कार्यो के साथ–साथ कार्य नहीं करने के कारणों से अवगत करायेगी ।

(v) अगले वर्ष के लिए कार्यकारी परिषद वित्तीय आकलन विनियमों द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व तैयार कर सामान्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

(vi) कार्यकारी परिषद द्वारा बजट के तहत किये गये प्रावधान के अतिरिक्त यदि राशि खर्च करने की आवश्यकता हो अथवा किसी आवश्यकता की घड़ी में, लिखित कारण का उल्लेख कर खर्च कर सकेगी, जो विनियम द्वारा शर्त्तो तथा अवरोधों के अधीन होगा (जब बजट के अंतर्गत विशेष खर्च का कोई प्रावधान नहीं किया गया हो) । सामान्य परिषद को उसकी आगामी बैठक में इस आशय का प्रतिवेदन दे दिया जायेगा ।

25. **वार्षिक प्रतिवेदन :**

(i) कार्यकारी परिषद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी तथा विनियम द्वारा निर्धारित तिथियों के पूर्व सामान्य परिषद को प्रस्तुत करेगी । उस पर सामान्य परिषद प्रस्ताव पारित करेगी तथा उसके अनुसार कार्यकारी परिषद काम करेगी । किये गये कार्य की सूचना सामान्य परिषद को दे दी जायेगी ।

(ii) वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियाँ सामान्य प्रस्ताव के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी जायेगी । राज्य सरकार उसे राज्य विधायिका के अलगे सत्र में सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

प्रकीर्ण

26. **अनुबंध का क्रियान्वयन :**

विश्वविद्यालय के प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधित सभी अनुबंध कार्यकारी परिषद द्वारा संपन्न होंगे तथा इस हेतु अलग से गठित विनियमों के प्रावधानों के तहत किये जायेगे ।

27. **छात्रों के नामांकन की अहर्ता :**

वैसे किसी भी छात्र का नामांकन, डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए तब तक नही किया जायेगा जब तक उसके पास विनियमों में विहित अपेक्षित योग्यताएँ प्राप्त नहीं हो ।

28. **छात्रों का आवास :**

विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहेगा या विश्वविद्यालय के विनियमों के तहत चिन्हित आवास में रह सकता है ।

29. **मानद उपाधियाँ :**

यदि विद्वत परिषद के दो तिहाई सदस्यों से अन्यून सदस्य किसी व्यक्ति, जो उनकी राय मे ख्याति प्राप्त अथवा विशिष्ट कोटि के कारण मानद उपाधि अथवा अकादमिक विशिष्टता प्राप्त करने हेतु सुयोग्य हो, तो सामान्य परिषद संकल्प पारित कर यह निर्णय ले सकता है कि उस व्यक्ति को अनुशंसित उपाधि अथवा अकादमिक विशिष्टता प्रदान की जाय ।

30. **डिग्री या डिप्लोमा को वापस किया जाना :**

(i) यदि कोई व्यक्ति, जिसे कोई विशिष्टता, उपाधि डिप्लोमा या विशेषाधिकार प्रदान किया गया हो और वह किसी गंभीर / दुराचार का दोषी पाया जाता है, तो कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा पर, सामान्य परिषद् अपनी कुल सदस्यता के बहुमत अथवा बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से ऐसी प्रदान की गई विशिष्टता, उपाधि डिप्लोमा या विशेषाधिकार को वापस ले सकेगा।

(ii) उपबंध (i) के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक कोई कदम नहीं उठाया जायेगा जब तक उसे कार्य के संबंध में स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं दिया जाता है ।

(iii) सामान्य परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति संबद्ध व्यक्ति के पास तुरन्त भेज दी जायेगी ।

(iv) सामान्य परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव से क्षुब्ध व्यक्ति प्रस्ताव की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर कुलाधिपति से अपील कर सकता है ।

(v) इस अपील पंर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम माना जायेगा ।

31 **अनुशासन :**

(i) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर अनुशासन कायम रखने के लिए अंतिम अधिकारी कुलपति होंगे । सभी विभागों, छात्रावासों और संस्थाओं के प्रमुख उनके आदेशों का अनुपालन करेंगे ।

(ii) उपबंध – (i) के अंतर्गत प्रावधानों के बावजूद किसी छात्र को परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकने की सजा या विश्वविद्यालय, छात्रावास या वैसे किसी प्रतिष्ठान से निष्कासित करने, विषयक कुलपति के प्रतिवेदन पर कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विचार–विमर्श किया जायेगा, परन्तु यह कि प्रतिवेदन पर विचार करने के पूर्व उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जायेगा ।

32. प्रायोजित योजनाएं :

विश्वविद्यालय के अधिकारी अथवा शिक्षक के द्वारा प्रायोजित शोध–परियोजनाएँ, पाठ्यक्रमों अथवा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार किए गए परामर्शदाता के कार्य (Consultancies) विद्वत परिषद् द्वारा इन योजनाओं के प्रस्ताव के जाँच (Vetting) के उपरान्त स्वीकार किया जायेगा। विश्वविद्यालय हालांकि, सरकारी विभागों, शोध परियोजनाओं ख्याति प्राप्त संस्थानों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या कोई अन्य अकादमिक और गवेषण संस्थान, जो वह उचित समझे, के ऐसे स्ववित्त पोषित शोध परियोजनाओं, पाठ्यक्रमों एवं परामर्शदाता के कार्यों (Consultancies) को स्वीकार करने तथा चलाने के लिए स्वतंत्र होगा ।

परन्तु यह कि जहां अकादमिक या शोध परियोजना निजी संगठन के आग्रह पर स्वीकार किए जाएं, तो वह इस हेतु अलग से निर्मित विनियम तथा शर्त्तों जो राज्य सरकार आदेश द्वारा निरूपित करें, से नियंत्रित होगा ।

यह विधेयक राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची विधेयक, 2010 दिनांक 27 मार्च, 2010 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 27 मार्च, 2010 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 92--50--31-3-2010 ।